>

Title: Need to conduct an inquiry into the alleged irregularities by Cooperative Banks in Crop Insurance Scheme for farmers in East Champaran district of Sheohar Parliamentary Constituency in Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। "हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में आग चलनी चाहिए और शून्यकाल का जो काम है, वह जरूर होना चाहिए।"

महोदय, मेरे ससंदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी जिला के किसानों ने वर्ष 2009 में खड़ी फसल का बीमा जिले के सहकारिता बैंक की विभिन्न शाखाओं में कराया था। इसके लिए बीमा की जो राशि बैंक द्वारा निर्धारित की गई थी, उसका भी भुगतान किसानों ने नहीं किया था तथा साथ ही साथ बैंक पदाधिकारियों के निर्देशानुसार बीमा हेतु आवेदन दिया था। किंतु तीन वर्षों के पश्चात जब किसानो की खड़ी फसलों का बीमा सरकार द्वारा मंजूर हो गया और राशि भी संबंधित बैंक में आ गई, तब बैंक द्वारा विभिन्न कारण बताकर जिले के लगभग 11 हजार किसानों को मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा रहा है। जबकि होना यह चाहिए था कि उनके आवेदन के समय ही बैंक द्वारा सही मार्गदर्शन करके उसमें किसी भी तरह की त्रुटि को दूर किया जाता तथा किसानों की प्रीमियम राशि को वापस कर उस समय ही उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाता। परंतु बीमा होने के तीन वर्षों के बाद जब बीमा की राशि मंजूर होकर बैंकों में आ गई है तो इस समय बैंक का यह रवैया कतिपय उचित नहीं है। बैंकों के इस कदम से वहां के किसानों में काफी आक्रोश है तथा वे उग्र आंदोलन पर उतारू हैं। यदि बैंक पदाधिकारियों एवं सहकारिता के पदाधिकारियों द्वारा आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता तो किसानों के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वी चम्पारण जिले में सहकारिता बैंक द्वारा किसानों के साथ की जा रही अनियमितता की जांच कराकर उन्हें उनका हक दिलाने की कृपा की जाए और इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाए।